न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 110/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भंवरलाल पुत्र घीसाराम 2– ओमप्रकाश पुत्र घीसाराम जातियान जाट निवासीगण गांव तिलवासनी 3– पृथ्वीराज पुत्र गोकलराम 4– बाबुलाल पुत्र किशनाराम 5– रामदयाल पुत्र गोकलराम 6– परसराम पुत्र गोकलराम 7– जोराराम पुत्र गोकलराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण गांव तिलवासनी, पीपाडशहर, जिला जोधपुर		1– श्रीमती छोटीदेवी पत्नी भंवरलाल 2– श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी शंकरलाल जातियान जाट निवासीगण, गांव तिलवासनी 3– श्रीमती शंकरी पत्नी भाखराराम 4– जोराराम पुत्र मोतीराम जातियान विश्नोई निवासीगण गांव तिलवासनी, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर 5– सोहनलाल पुत्र किसनाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी, हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर (प्राफोर्मा पक्षकार) 6– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पीपाडशहर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक/कोर्ट/रास्ता/2018/ 791 दिनांक 15–6–2018 जिसे उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 60 (एच) पर पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री आर.पी.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री हरि सिह कच्छवाहा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 16–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम तिलवासनी के तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नंबर 901 के खातेदार से मिलकर मौका स्थिति के विरूद्ध अपीलांटगण के पीठ पीछे दिनांक 23–3–2018 की मौका फर्द पटवार भवन मे बैठकर तैयार कर मौका फर्द पर दौलाराम, परसाराम, ओमप्रकाश के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुठा कर इस आशय की मौका फर्द तैयार की कि ग्राम तिलवासनी के खसरा नंबर 866 किस्म गै0मु0रास्ता के अंतिम बिन्दु से प्रारंभ होकर खसरा नबंर 909, 905, 903, 902 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे खसरा नंबर 901 की पश्चिमी मेड के उत्तर की तरफ जाकर उत्तरी मेड के सहारे खसरा नंबर 900 तक मौके पर रास्ता चलता है, उक्त रास्ते पर वर्तमान मे ढाणियां बसी हुई है तथा कुंए, नलकूप इत्यादि खुदे हुए होना

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

है, उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर/अंगुठा उपस्थितजनो के करना तथा उक्त रिपोर्ट के साथ तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बिना तारीख का एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को "मौके पर चल रहे कदीमी रास्ता का अभिलेख मे दर्ज हेतु प्रस्ताव तैयार करने बाबतं" विषय का हल्का पटवारी के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त का पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर तक नही है तथा साथ मे तीन प्रतियों का प्रस्ताव सलंग्न करना बताते हुए उपरोक्त प्रकिया के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 15–6–2018 को पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदार को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो बिना मौके के सर्वे किये और आसपास के खातेदारो के मौका फर्द पर हस्ताक्षर करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच कराये और खातेदारान को नोटिस दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमिधारी तहसीलदार की ओर से कोई प्रार्थना पत्र या प्रस्ताव रास्ते के संबंध मे प्रस्तुत नही किया गया तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रस्ताव पर तहसीलदार के कोई काउन्टर हस्ताक्षर ही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये प्रस्ताव के अनुरूप अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–6–2018 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन आदेश की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे किये गये इन्द्राजात को दुरस्त करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के निराकरण के संबंध मे समय समय पर चलाये गये अभियानो मे पारित निर्देशो के क्रम मे ऐसे रास्ते जो कदीमी से चालू है तथा उक्त रास्ते का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ते की समस्याओ के समाधान अभियान के तहत तहसीलदार पीपाडशहर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा दिनांक 15–6–2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60 (एच) के तहत तहसीलदार पीपाडशहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ग्राम तिलवासनी के खसरा नंबरान मे से गै.मु.रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस मे दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार पीपाडशहर को पारित कर माफिक रेकर्ड उक्त खसरा की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज कर नक्शे मे तरमीम करने के निर्देश पारित किये है ।

वर्तमान अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 15–6–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 2–9–2020 को वर्तमान अपील करीब 2 वर्ष 3 माह विलंब से प्रस्तुत की है तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नही किया जिसके आधार पर वर्तमान अपील को अंदर मयाद सुमार किया जा सकें तथा अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी के जो कारण धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित किये है वे मात्र काल्पनिक है जिसका कोई ठोस सबूत नही है ।

पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि के संबंध मे तैयार की गई मौके की फर्द पर ग्रामवासियो के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान आदि किये हुए है जो सार्वजनिक रूप से तैयार की गई है इसलिए यह नही माना जा सकता कि अपीलांटगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व मे नही हुई हो ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर